परिपत्र संख्या 30/10

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(652)(1-32)विधि/10/ 1912- दिनांकः 14/10/2010

परिपत्र

विषयः राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के यहाँ विचाराधीन निगरानियों में वांछित कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय की पत्रावलियाँ समय पर भिजवाने के संबंध में।

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के यहाँ स्टाम्प निगरानियों की सुनवाई हेतु कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णित मुद्रांक प्रकरण की पत्रावली चाही जाती है। पंजीयक कर बोर्ड एवं राजकीय अभिभाषकों द्वारा कई बार बात ध्यान में लाई गई है। राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) को निर्णय की पत्रावलियाँ भिजवाने हेतु बार-बार स्मरण-पत्र जारी करने के उपरांत भी पत्रावलियाँ राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को समय पर नहीं भिजवाई जाती हैं।

इस कार्यालय के पत्रांक एफ.7(652)(1-32)विधि/10/1975-88 दिनांक 18.2.10 द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) की पत्रावलियाँ भिजवाने के लिए निर्देशित किया जाकर यह स्पष्ट किया गया था कि रिवीजन का निर्णय वांछित पत्रावली/रिकार्ड के अभाव में राज्य सरकार के विरूद्ध हो जाने की स्थिति में कलक्टर (मुद्रांक) को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानकर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उपरोक्त निर्देशों के उपरांत भी पुनः यह ध्यान में लाया गया है कि कलक्टर (मद्रांक) के द्वारा कर बोर्ड में लम्बित निगरानियों से संबंधित निर्णित मुद्रांक प्रकरणों की पत्रावलियाँ राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को समय पर नहीं भिजवाई जा रही है। इस संबंध में राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के यहाँ से भी कलक्टर (मुद्रांक) को पत्रावलियाँ भिजवाने के लिए अनेक बार (कई मामलों में तो 10-11बार तक) पत्र इस संबंध में लिखे जाकर प्रति मुख्यालय को भिजवाई जाती हैं। समय पर निगरानियों से सम्बन्धित अभिलेख कर बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराना, स्पष्ट रूप से विभागीय निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है।

अतः समस्त कलक्टर (मुद्रांक) को पुनः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के द्वारा वर्ष 2008 तक दायर निगरानियों में समस्त वांछित अभिलेख दिनांक 30.10.2010 तक एवम् शेष दायर निगरानियों में समस्त वांछित अभिलेख दिनांक 30.11.10 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। भविष्य में कर बोर्ड से अभिलेख हेतु पत्र प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिये जावेगें।

कृपया अवगत रहें।

महानिरीक्षक, 14/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-Circular-10

क्रमांकः एफ–7(652)(1–32)विधि/10/ 1913-2362 दिनांकः 14-10-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर